

व्यय विभाग/Department of Expenditure
महालेखा नियंत्रक कार्यालय/Office of the Controller General of Accounts
महालेखा नियंत्रक भवन/Mahalekha Niyantarak Bhawan
ई ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, आई.एन.ए.,/E Block, GPO Complex, INA
नई दिल्ली/New Delhi-110023
(संहिता अनुभाग/Code Section)

No. 190011(014)/01/2023-Codes-CGA/12622/ 515-522

Dated: 26-04-2023

To,

Smt. Alka Anand, Sr. Administrative Officer (Procedure-I),
O/o C&AG, 10 Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi-110002


Sub: Correction in Account Code for Accountants General due to notification of Indian Government Accounting Standard-4 on 'Prior Period Adjustments' notified by Budget Division, DEA, MoF effective for the financial statement for the period from 01-04-2023.

Madam,

I am to enclose herewith Correction Slip Number 01 dated 25-04-2023 to 'Chapter-7 Transfer Entries' of Account Code for Accountants General to insert a new Article bearing number '7.13-Prior Period Adjustments' and Annexures 1 to 3 from 01-04-2023.

O/o C&AG is requested to circulate this amendment among Accountants General for strict compliance.

Yours faithfully,



(Vijay Kumar)

Sr. Accounts Officer (Code)

Copy along-with Correction Slip Number 01 dated 25-04-2023 forwarded to:

1. Shri Rakesh Babbar, Dy. Director (Budget), Ministry of Finance, DEA, North Block, New Delhi
2. Sr. AO, Data Analytics and Monthly Accounts, O/o CGA
3. Sr. AO, Appropriation Accounts, O/o CGA
4. Sr. AO, Finance Account, O/o CGA
5. Sr. AO, ITD for uploading the same on the website of CGA
6. Sr. AO, TA-1, O/o CGA
7. Sr. AO, (ARC), O/o CGA
8. Asstt. Director (Official Language), O/o CGA for Hindi translation

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

Account Code For Accountants General

Correction Slip No. 01
Dated 25-04-2023

Page No.137 (First Edition)

Chapter 7-Transfer Entries

Following Article 7.13 and Annexures 1 to 3 may be added below the existing article '7.12-Closing of the Combined Transfer Ledger and Abstract'

7.13 - Prior Period Adjustments

Whereas, accounting on cash basis recognizes prior period items for rectification of errors or adjustment of financial statements for one or more prior periods for which the accounts have been closed. These will not be passed through the regular monthly accounts, will not be shown in the Statement of Central Transactions, and even the opening balances in such cases will not be corrected with a foot note. However, a full account of such adjustments in an account named '*Prior period adjustment Account*' will be submitted with the material for the State Government Finance Accounts.

'*Prior Period Adjustment*' means rectification of errors or adjustments due to change in the Government decisions which may affect balances and progressive bookings of earlier years for which accounts have been closed. These do not include transactions such as payment of arrears arising due to increase in salaries or revision of pension or increase in dearness allowance, etc. in the current period though they belong to prior periods as these transactions cannot be attributed to any type of errors or any adjustment in Governments Policies. These Prior Period Adjustments shall not include in its ambit, defaults of loans and grants-in-aid as it is only a process for rectification or adjustment of financial statements of prior periods.


Prior Period adjustments shall be presented and disclosed in accordance with Annexure 1 to Annexure 3 to this Chapter which contains proformas for '*Summary of Balances (Government Accounts)*', '*Details of Prior Period Adjustments*' and '*Adjustment in Prior Period involving all Heads Closed to Balance vis-a-vis Heads Closed to Government Accounts (Impact of Prior Period adjustments involving Capital expenditure heads, if any, on Capital Expenditure)*' respectively. Prior Period Adjustments shall be considered material if its value can be expressed in clear terms equal to or greater than rupees one thousand.

The effects of these adjustments shall be incorporated in the material for relevant statements of Finance accounts. It will be shown distinctly in a separate line, under the opening balance of the concerned minor head below the relevant major head, with the nomenclature '*Prior Period Adjustment account*'. The net effect of these

adjustments on 'Government account' will also be worked out for arriving at the balances as on 31st March of the year under it, for the purpose of inserting against the concerned head in the material for Statement No.13 of Finance Accounts.

[Ref: Notification No.992, S.O. 1033(E) dated 2nd March, 2023 by the Budget Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance].

(Effective from 01st April 2023)
(Authority 190011(014)/01/2023-Codes-CGA/12622)


Sr. Accounts Officer (Code)

Prior Period adjustments

Annexure 1
Summary of Balances (Government Accounts)

(₹ in thousands)

Debit	Details	Credit
	A. Opening Balance	
zz*	B. Net effect of Prior Period Adjustments	zz*
	C. Receipt Heads(Revenue Account)	
	D. Receipt Heads (Capital Account)	
	E. Expenditure Heads(Revenue Account)	
	F. Expenditure Heads(Capital Account)	
	G. Inter-State Settlement	
	H. Miscellaneous (Net)	
	I. Transfer to Contingency Fund	
	J. Closing Balance	
XXXX	GRAND TOTAL	XXXX

*Net effect (Dr. or Cr.) of Prior Period Adjustments in Government Accounts of 'Statement of Summary of Balance' (Annexure 1) will be zz (i.e. /difference of xx and yy) given in Annexure 2.

Details of Prior Period adjustments

Annexure 2

(₹ in thousands)

Sr. No.	Type of Corrections (Adjustments/Errors)	Heads of Accounts (Major/Minor Heads wise details of both the affected heads of account involved are to be shown, separately except heads closed to Government Accounts)	Carry Forward 'Opening Balance as on 01-04-20.... (Current FY)		Year of Prior Period	Amount of correction		Reason of correction	Opening Balance as on 01-04-20.... after correction (Current FY)		Remarks if any
			Dr.	Cr.		Dr.	Cr.		Dr.	Cr.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
3											
4											
5											
Total						xx	yy				
						Net Effect of Prior Period Adjustmentszz(Difference of xx and yy)					

Note: Column (2) "Type of Corrections (Adjustments/Errors)" will also include frauds of any value, if any, which will be mandatorily recorded in Column (9) as 'fraud'

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
महालेखा नियंत्रक भवन
ई ब्लॉक, जी. पी. ओ. कॉम्प्लेक्स, आई. एन. ए.,
नई दिल्ली

संख्या : 190011(014)/01/2023-कोड्स-सीजीए/12622/ 528-535 दिनांक 04-05-2023

सेवा में,

श्रीमति अल्का आनन्द, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, (प्रक्रिया-1 अनुभाग),
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय,
10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-2

विषय :- महालेखाकारों के लिए लेखा संहिता में संशोधन हेतु शुद्धि पर्ची संख्या 01 दिनांक 25-04-2023 का हिंदी अनुवाद

महोदया,

मैं महालेखाकारों के लिए लेखा संहिता में संशोधन हेतु शुद्धि पर्ची संख्या 01 दिनांक 25-04-2023 का हिंदी अनुवाद संलग्न कर रहा हूँ।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय से अनुरोध है कि सख्त अनुपालन के लिए इस संशोधन को वह महालेखाकारों के बीच परिचालित करें।

भवदीय,
(विजय कुमार) 1/5/2023

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (संहिता)

संगलक : शुद्धि पर्ची संख्या 01 दिनांक 25-04-2023 के साथ इस पत्र की प्रति अग्रेषित की गई :

1. श्री राकेश बब्बर, उप निदेशक(बजट), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -1
2. वरिष्ठ लेखा अधिकारी(आंकड़ा विश्लेषण और मासिक लेखा अनुभाग), महालेखा नियंत्रक कार्यालय, नई दिल्ली
3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी(विनियोग लेखा अनुभाग), महालेखा नियंत्रक कार्यालय, नई दिल्ली
4. वरिष्ठ लेखा अधिकारी(वित्त लेखा अनुभाग), महालेखा नियंत्रक कार्यालय, नई दिल्ली
5. वरिष्ठ लेखा अधिकारी(सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग), महालेखा नियंत्रक कार्यालय, नई दिल्ली (इसे सी जी ए की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए)
6. वरिष्ठ लेखा अधिकारी(तकनीकी सहायता लेखा अनुभाग), महालेखा नियंत्रक कार्यालय, नई दिल्ली
7. वरिष्ठ लेखा अधिकारी(लेखा सुधार प्रकोष्ठ), महालेखा नियंत्रक कार्यालय, नई दिल्ली

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
नई दिल्ली
महालेखाकारों के लिए लेखा संहिता

शुद्धि पर्ची संख्या: 01
दिनांक: 25.04.2023

पृष्ठ संख्या: 137 (प्रथम संस्करण)

अध्याय 7-अंतरण प्रविष्टियां

निम्नलिखित अनुच्छेद 7.13 और अनुबंध 1 से 3 को मौजूदा अनुच्छेद '7.12- सम्मिलित अंतरण लेखा व सार' के नीचे जोड़ा जा सकता है।

7.13- पूर्व अवधि समायोजन

चूंकि नकद आधार पर लेखांकन, पूर्व अवधि मदों को, त्रुटियों के सुधार और एक या अधिक पूर्व अवधियों, जिसके लिए खाते बंद कर दिए गए हैं, के वित्तीय विवरणों के समायोजन के लिए मान्यता देता है। इन्हें नियमित मासिक लेखाओं के माध्यम से पारित नहीं किया जायेगा, इनका केन्द्रीय लेन-देन के विवरण में उल्लेख नहीं किया जाएगा और यहां तक कि ऐसे मामलों में प्रारंभिक शेष को भी पाद टिप्पणी के द्वारा सही नहीं किया जाएगा। तथापि, ऐसे समायोजनों का संपूर्ण लेखा "पूर्व अवधि समायोजन लेखा" नामक लेखे में राज्य सरकार वित्त लेखों की सामग्री के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

'पूर्व अवधि समायोजन' का अर्थ है सरकार के निर्णयों में परिवर्तन के कारण उन त्रुटियों में सुधार या समायोजन जो पिछले वर्षों की उन शेष राशि और क्रमिक बुकिंग को प्रभावित कर सकता है जिनके खाते बंद कर दिए गए हैं। इनमें मौजूदा अवधि में वेतन में वृद्धि अथवा पेंशन में संशोधन अथवा महंगाई भत्ते में वृद्धि आदि के कारण बकायों के भुगतान जैसे लेन-देन, हालांकि ये लेन-देन पूर्व-अवधियों से संबंधित हैं लेकिन क्योंकि इन लेन-देनों का सरकारी नीतियों में किसी प्रकार की त्रुटियों अथवा किसी समायोजन से संबंध नहीं है, शामिल नहीं होते। इन पूर्व अवधि समायोजनों के दायरे में ऋणों और सहायता-अनुदान की चूक शामिल नहीं हैं क्योंकि यह केवल पूर्व अवधियों के वित्तीय विवरणों में सुधार अथवा समायोजन की प्रक्रिया है।

'पूर्व अवधि समायोजन' इस अध्याय जिसमें क्रमशः 'शेष राशि का सारांश (सरकारी खाते)', 'पूर्व अवधि समायोजनों के ब्यारे' और सरकारी खातों के लिए बंद शीर्षों (पूंजीगत व्यय शीर्षों, यदि कोई हो, को शामिल करते हुए पूर्व अवधि समायोजन का पूंजीगत व्यय पर पड़ने वाले प्रभाव) की तुलना में शेष राशि के बंद सभी शीर्षों को शामिल करते हुए पूर्व अवधि में समायोजन के लिए प्रोफार्मा निहित हैं को अनुबंध 1 से 3 अनुसरण में प्रस्तुत और प्रकट किया जाएगा। पूर्व अवधि के समायोजन के लिए उसी सामग्री को माना जाएगा यदि इसका मूल्य एक हजार रुपये के बराबर या उससे अधिक स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है

इन समायोजनों का प्रभाव वित्त लेखों के संगत विवरणों की सामग्री में शामिल किया जाएगा। इसे 'पूर्व अवधि समायोजन लेखा' नामावली के साथ संगत मुख्य शीर्ष के नीचे संबंधित लघु शीर्ष के प्रारंभिक

शेष के तहत अलग से एक विशिष्ट लाइन में दर्शाया जाएगा। 'सरकारी लेखा' के संबंध में इन समायोजनों के निवल प्रभाव की गणना वित्त लेखों की विवरण सं.13 के लिए सामग्री में संबंधित शीर्ष की तुलना में जोड़ने के प्रयोजन हेतु वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार शेष राशि के लिए भी की जाएगी।

[संदर्भ: बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा 2 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. 992, का.आ. 1033(ई)]

(1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी)

(प्राधिकार 190011(014)/01/2023-कोड्स-सीजीए/12622)



(विजय कुमार)

व. लेखा अधिकारी (संहिता)

पूर्व अवधि समायोजन

अनुबंध 1

शेष राशि का सारांश (सरकारी खाते)

(₹ हजारों में)

जमा	विवरण	उधार
zz*	क. प्रारम्भिक शेष राशि	zz*
	ख. पूर्व अवधि समायोजन का शुद्ध प्रभाव	
	ग. प्राप्ति शीर्ष (पूंजी खाता)	
	घ. प्राप्ति शीर्ष (राजस्व खाता)	
	ड. व्यय शीर्ष (राजस्व खाता)	
	च . व्यय शीर्ष (पूंजी खाता)	
	छ . अंतरराज्तीय भुगतान	
	ज. विविध (निवल)	
	झ. आकस्मिकता निधि में अंतरण	
	ञ. जमा शेष	
XXXX	कुल योग	XXXX

* शेष राशि के सारांश का विवरण' (अनुबंध 1) के सरकारी खातों में पूर्व अवधि के समायोजन का निवल प्रभाव (डे अथवा क्रे) zz अर्थात xx और yy का अंतर) होगा, जो अनुबंध 2 में दिया गया है।

पूर्व अवधि समायोजन का विवरण

अनुबंध 2

(₹ हजारों में)

क्र.सं.	संशोधन का प्रकार (समायोजन/त्रुटियां)	लेखा शीर्ष (दोनों संबद्ध प्रभावित लेखा शीर्षों, प्रमुख/लघु शीर्षवार, के ब्योरे, सरकारी खातों में बंद शीर्षों का छोड़कर, अलग-अलग दर्शाए जाने हैं)	01.04.20.. की स्थिति के अनुसार 'प्रारंभिक शेष' को आगे बढ़ाया जाए। (वर्तमान वित्त वर्ष)		वर्ष-वार पूर्व संशोधन			संशोधनके बाद 01.04.20.. की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक शेष (वर्तमान वित्त वर्ष)		टिप्पणी यदि कोई हो	
			पूर्व अवधि का वर्ष	संशोधित राशि	संशोधन का कारण	नामे	जमा	नामे	जमा		
(1)	(2)	(3)	नामे	जमा	(6)	नामे	जमा	(9)	नामे	जमा	(12)
1											
2											
3											
4											
5											
कुल					xx	yy					
पूर्व अवधि समायोजन का शुद्ध प्रभाव					zz (xx और yy का अंतर)						

टिप्पणी: मद (2) "संशोधन का प्रकार (समायोजन/त्रुटियां)" में किसी भी मूल्य की धोखाधड़ी भी शामिल होगी, यदि कोई हो, जिसे मद (9) में 'धोखाधड़ी' के रूप में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा।

